

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, दांतारामगढ़
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प- दांतारामगढ़

आदेश

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी- दांतारामगढ़ व भूअ.नि. दांतारामगढ़ की रिपोर्ट तथा तहसीलदार- दांतारामगढ़ / नायब तहसीलदार- दांतारामगढ़ की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम- पुन्नावा तहसील दांतारामगढ़ व जिला सीकर की जमाबंदी संवत्- 2068-71 में खाता संख्या- 13, 14, 15, 16, 66 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	पुन्नावा	12	भाग्यालक्ष्मी डी. रतना	भाग्यालक्ष्मी डी. रतना
2	पुन्नावा	14	भाग्यालक्ष्मी डी. रतना	भाग्यालक्ष्मी डी. रतना
3	पुन्नावा	15	भाग्यालक्ष्मी डी. रतना	भाग्यालक्ष्मी डी. रतना
4	पुन्नावा	16	भाग्यालक्ष्मी डी. रतना	भाग्यालक्ष्मी डी. रतना
5	पुन्नावा	66	भाग्यालक्ष्मी डी. रतना	भाग्यालक्ष्मी डी. रतना
6	पुन्नावा	99	भाग्यालक्ष्मी डी. रतना	भाग्यालक्ष्मी डी. रतना

(जगदीश प्रसाद गौड़)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, दांतारामगढ़

दिनांक:- 28/12/18

क्रमांक:- 24-35

तिलिपि-

1. तहसीलदार, दांतारामगढ़ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री- भाग्यालक्ष्मी डी. रतना को सुचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन

सहायक कलेक्टर, दांतारामगढ़